

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय:  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ ३-३२/२०१९/३८-१  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ३०/०९/२०२४

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के लिए “स्वाध्यार्थी विद्यार्थी नीति-2024” लागू करने संबंधी।

—०—

उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्वाध्यार्थी विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए “स्वाध्यार्थी विद्यार्थी नीति-2024” का अनुमोदन किया गया है। उक्त नीति की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

म.  
३०.०९.२०२४

(राकेश कुमार ध्रुव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ ३-३२/२०१९/३८-१

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /०९/२०२४

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
5. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
6. कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय (छ.ग.)
7. कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय (छ.ग.)
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, (छ.ग.)
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा रांचातानालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
10. आयुक्त, समागम .....
11. समरत कलेक्टर, ..... (१५ ग)
12. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/विलासपुर/दुर्ग/सारगुजा/करतर (१३ ग)
13. समरत प्राचार्य, ..... (१३ ग)
14. विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।  
की ओर पातनार्थ/सूचनार्थ अग्रेषित,
15. आदेश फॉल्डर।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

## स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति—2024

स्वाध्यायी विद्यार्थी से तात्पर्य नियमित रूप से प्रवेश न लेकर राष्ट्रीयी (self study) के रूप में अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में शामिल होते हैं उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में मान्य किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये नीति निर्धारण किया जाना है। जिससे कि उन्हें भी NEP- 2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सके। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अध्यादेश चार वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अनुसार अध्यादेशित होंगे। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण एकरूपता लाने के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु नीति लागू किया जाना है।

### 01. स्वाध्यायी विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण।

नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि की समाप्ति से स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु 20 दिवस का समय निर्धारित होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का पंजीयन कराया जाएगा, जिससे कि इन्हे प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय पंजीयन का कार्य पूर्ण कर पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों की संकायवार/विषयवार सूची संबंधित महाविद्यालय का उपलब्ध कराई जाएगी।

### 02. सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली।

(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपने यहां के पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निर्मांकित तिथियों पर आयाजित करेंगे।

(अ) प्रथम आंतरिक मूल्यांकन – 01 नवम्बर से 10 नवम्बर

(ब) द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन – 01 दिसंबर से 10 दिसंबर

(स) असाइनमेंट – 15 दिसंबर से 25 दिसंबर

(ii) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका संबंधी रिकार्ड रखने की नियमेदारी संबंधित महाविद्यालय की रहेगी। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से मंगाया जा सकता है।

(iii) प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंक का होगा। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के नियंत्रणानुसार तथा निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा।

(iv) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण संबंधित महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के नियंत्रणानुसार किया जाएगा।

(v) महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अनुशासित तरीकों से तथा अकादमिक प्रदत्त गुणवत्ता संगतता के साथ ली जाए।

(vi) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

  
W.

//2//

(vii) संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों की उत्तर पुरितका के प्राप्तांकों को रोल नम्बर अनुसार (Foil /c Foil) बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए रांचित विश्वविद्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

### 03. प्रायोगिक विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण।

- (i) प्रायोगिक विषयों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु रोमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व प्रायोगिक कक्षाएं/लेब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाये।
- (ii) प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घन्टे की प्रायोगिक कक्षा/लेब वर्क का मिलना चाहिये जो एक क्रेडिट के बराबर होगा। (ज्ञातव्य हो कि प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट Theory एवं 1 क्रेडिट Practical हैं)
- (iii) प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ववत् विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जायेगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अगल से निर्देश जारी करेगे।

### 04. GE, VAC, SEC चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

- (i) दिनांक 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों से चर्चा करके GE/VAC/SEC उनकी इच्छानुसार एवं महाविद्यालय की उपलब्धतानुसार आवंटित कर दिया जाएगा।
- (ii) इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केन्द्र अपने वेबसाईट/नोटिस बोर्ड/अन्य के माध्यम से GE/VAC/SEC की सूची उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) आवंटित GE/VAC/SEC की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

### 05. अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण।

- (i) परीक्षा आवेदन की तिथि एवं शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, तथा परीक्षा आवेदन की प्रक्रियाएवं अन्य प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।
- (ii) परीक्षा आवेदन हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

### 06. आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के मानदेश का निर्धारण।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं असाइनमेंट के लिये मानदेश का दर विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मानदेश पूर्ववत् विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगा।

# स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेन्डर 2024

## प्रथम सेमेस्टर हेतु

क्रमांक	अकादमिक कार्य/गतिविधि	सम्पन्नात्मक विद्यार्थियों हेतु तिथि
01	प्रश्नपत्रिका भवानीकरण में स्वाध्यायी विद्यार्थियों का घटीयन	01 / 10 / 2024 स
02	संबंधित महाविद्यालय को स्वाध्यायी विद्यार्थियों की सूची का प्रेषण।	20 / 10 / 2024 21 / 10 / 2024
03	संबंधित महाविद्यालय के द्वारा सकायवार/विषयवार स्वाध्यायी विद्यार्थियों का छाट्स अप ग्रुप तैयार करना। प्रत्येक छाट्स अप ग्रुप का Admin सदीय सकाय/विषय का शिक्षक होगा।	21 / 10 / 2024
04	स्वाध्यायी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध GE/VAC/SEC का प्रियार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन	21 / 10 / 2024 स
05	सेमेस्टर परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तिथि	26 / 10 / 2024 15 / 11 / 2024 स
06	स्वाध्यायी विद्यार्थियों की रोल नंबर अनुसार सूची का संबंधित महाविद्यालय को प्रेषण	25 / 11 / 2024 26 अक्टूबर 2024
07	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	01 / 11 / 2024 स
08	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा हितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	10 / 11 / 2024 01 / 12 / 2024 स
09	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा असाइनमेंट जमा करने की तिथि	10 / 12 / 2024 15 / 12 / 2024 स
10.	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	25 / 12 / 2024 15 / 12 / 2024 स 31 / 12 / 2024

३०.०९.२०२४  
(राकेश कुमार धूम)  
अवर सचिव  
प्रतीकांग शारान  
उच्च शिक्षा विभाग